GE T&D India Limited
L31102DL1957PLC193993

T-5 & T-6 , Plot I-14, Axis House,
Jaypee Wishtown, sector-128,
Noida-201304, Uttar Pradesh

T +91 120 5021500
F +91 120 5021501

https://www.ge.com/in/ge-td-india-limited

July 15, 2021

The Secretary
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
MUMBAI 400 001

Code No. 522275

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East)
MUMBAI 400 051

Symbol: GET&D

Dear Sir,

Sub: **Newspaper Publication**

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith Newspaper advertisement published today in Financial Express (all editions) and Jansatta (New Delhi) regarding notice convening of 65th Annual General Meeting of the Company on Friday, August 6, 2021 at 3:00 PM through VC/ OAVM facility, without the physical presence of the members at a common venue.

You are requested to take note of the same.

Thanking you,

Yours faithfully,

For GE T&D India Limited
MANOJ PRASAD SINGH
Digitally signed by MANOJ PRASAD SINGH
Date: 2021.07.15 14:52:12 +05'30'
Manoj Prasad Singh
Company Secretary

IRFC to raise up to ₹3,000 cr through 10-year NCDs

FE BUREAU
Mumbai, July 14

INDIAN RAILWAY FINANCE Corporation (IRFC) will raise up to ₹3,000 crore through issuance of unsecured, redeemable, taxable non-convertible debentures (NCD) maturing in 10-year.

The NCDs have a base issue of ₹500 crore, with retain oversubscription of ₹2,500 crore.

The 10-year NCDs will mature on July 19, 2031, while bidding for the bonds will take place on July 15 between 10:30 am and 11:30 am on National Stock Exchange's bidding platform.

The company did not specify that what it intend to do with this capital.

IRFC is an New Delhi-based dedicated market borrowing arm of the Indian Railways.

The issuer did not fixed any coupon, rather said it will be set during the bidding.

The 10-year NCDs will mature on July 19, 2031, while bidding for the bonds will take place on July 15

"We expect coupon rate on our 10-year NCDs will be set below the current market," a person close to the issuance in the company said.

While, market participants and arrangers close to the issue said that the coupon rate on IRFC's NCDs will be set mostly between 6.75% and 6.80%, which is almost 5-10 basis points lower than the current market rate.

Currently, the rates on 10-year NCDs were hovering between 6.90% and 6.95%.

But, this seems to be higher because on June 6, the company had raised ₹1,994 crore via 20-year bonds at 6.99% coupon.

In this calender year, the company has issued three bonds, of which two mature in 20 years and 1 gets mature in 2-year.

With all these bonds, the company raised approximately ₹6,369 crore.

Meanwhile, the overall issuance of bonds as per market participants is expected to be at ₹30,000 crore in June through the private placement route.

This is lower than it was raised in May because the increase in borrowing cost forced most issuer to stay away from the market.

Savlon becomes over ₹1,000 crore brand

MITHUN DASGUPTA
Kolkata, July 14

DIVERSIFIED CONGLOMERATE ITC'S hygiene brand 'Savlon' has become an over ₹1,000 crore brand in terms of consumer spends, backed by heightened demands for hygiene products amid the ongoing Covid pandemic.

The cigarette-to-FMCG-to-hotel major had acquired Savlon in 2015 as a niche antiseptic liquid brand from Johnson & Johnson, primarily for use in India in order to expand its non-cigarette FMCG portfolio. This was the first purchase in its personal care segment.

Notably, Savlon has become the first brand which clocked ₹1,000 crore in terms of annual consumer spend in the Personal Care category of the Kolkata-based conglomerate. Consumer spends on this brand was around ₹250 crore in FY20.

"In just seven years, the company has been able to transform the brand into a holistic hygiene brand with a wide range of offerings, unlocking its true value in return. The brand has grown by more than 10 times since it was acquired, to become a ₹1,000 crore + brand in terms of consumer spends and continues to gain consumer franchise," Sameer Satpathy, divisional chief executive, Personal Care Products Business, ITC, told *FE*.

Such rapid transformation of the brand has been made possible through a continuous pursuit of innovation, which is rooted into consumer insights and R&D capabilities, according to Satpathy.

The pandemic has accelerated the penetration and adoption of products under Hygiene & Health categories.

Savlon was successfully extended from an antiseptic liquid brand to also include hand hygiene with a range of innovative formats.

GEECL FY21 profit falls 64% on lower coal bed methane sales

FE BUREAU
New Delhi, July 14

GREAT EASTERN ENERGY Corporation (GEECL), which produces coal bed methane (CBM) gas in West Bengal, reported a 64.2% year-on-year fall in its net profit to $2.4 million in FY21, as it sold lesser volumes of gas amid coronavirus lockdowns at lower prices compared to FY20. The company sold 7.9 million standard cubic feet per day (mscfd) CBM gas in the fiscal. Taking into account foreign currency fluctuations, the average price of gas sold by GEECL in FY21 was $9.81/ million British thermal units, 5.5% lower than the preceding fiscal.

Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation (Ebitda) fell 34.8% y-o-y to $13.65 million. GEECL's net debt at FY21-end stood at $52.4 million, 6.6% lower annually. The debt-to-equity ratio was at 0.58.

"Banks have been impressed with the company's performance and our disciplined debt servicing record even in difficult times," GEECL's CEO Prashant Modi told FE.

UTI Asset Management Company Limited
uti
UTI Mutual Fund
CIN: U65991MH2002PLC137867
Regd. Office: UTI Tower 'Gn' Block Bandra Kurla Complex Bandra (E) Mumbai - 400051
Tel.: 022 6678 6666 | **E-mail:** cs@uti.co.in | **Website:** www.utimf.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Wednesday, the 28th July, 2021** *inter-alia* to consider and approve financial results for the quarter ended 30th June, 2021.

The above information is also available on the website of the Company i.e. **www.utimf.com** and on the website of National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at **www.nseindia.com** and **www.bseindia.com** respectively.

For UTI Asset Management Company Limited
Sd/-
Date : 14th July, 2021 **Arvind Patkar**
Place: Mumbai **Company Secretary and Compliance Officer**

GE T&D India Limited
(CIN: L31102DL1957PLC193993)
Regd. Off.: A-18, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase II, New Delhi - 110020
Tel. No.: 91-11-4161 0660
Website : http://www.ge.com/in/ge-td-india-limited

NOTICE OF 65TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that 65th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, August 6, 2021 at 3:00 P.M. Indian Standard Time, through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") to transact the business as set out in the Notice convening the meeting. In compliance with the General Circular nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, and 02/2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 issued by the SEBI (hereinafter collectively referred to as "the Circulars") read with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and other applicable laws, AGM of the Company is being held through VC/OAVM.

Members are hereby informed that in compliance with the Circulars, electronic copies of the Notice of 65th AGM and instructions for remote e-voting, and Annual Report 2020-21, have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/ Depository participant(s) on July 9, 2021. These documents are also available on the website of the Company at https://www.ge.com/in/ge-td-india-limited/reports-financials, on the websites of the Stock Exchanges (https://www.bseindia.com and https://www.nseindia.com), and the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com. For members who did not receive the aforesaid documents, may download the same from the Company's website or may obtain the same by registering / updating their email addresses in the manner as stated in the notice published by the Company in Financial Express (All editions) and Jansatta (New Delhi) on July 9, 2021. Copy of the aforesaid Notice is also available on the website of the Company and Stock Exchanges.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its Members the facility to exercise their right to vote on all resolutions proposed to be considered at the AGM by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services. This facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of AGM ("remote e-Voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves by sending request mentioning their name, demat account/ folio number, email ID, mobile number through their registered email to the Company at company.secretary@ge.com. The speaker registration will be open till Wednesday, August 4, 2021 by 3:00 pm.

The details pursuant to the provisions the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the said Rules as amended, are given here under:

1. The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.
2. The remote e-Voting shall commence on Tuesday, August 3, 2021 at 9:00 a.m. (IST).
3. The remote e-Voting shall end on Thursday, August 5, 2021 at 5:00 p.m. (IST).
4. Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 p.m. (IST) on August 5, 2021.
5. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is July 30, 2021.
6. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. July 30, 2021 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or to Mr. Sujit Sengupta, M/s C B Management Services Pvt. Ltd. (RTA), Tel. No. (033) 4011-6728, e-mail: rta@cbmsl.com. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing User ID and password for casting your vote.
7. The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through e-voting, as will be provided by the Company.
8. The members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
9. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only i.e. on July 30, 2021 shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting or voting at the AGM through e-voting, as will be provided by the Company.
10. The Notice of AGM is displayed on the website: https://www.ge.com/in/ge-td-india-limited/reports-financials and also on the NSDL's website https://www.evoting.nsdl.com
11. In case of any queries relating to e-voting or attending AGM through VC/OAVM, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990. You may also send your queries/ grievances relating to e-voting to Mr. Sujit Sengupta, M/s C B Management Services Pvt. Ltd., P-22, Bondel Road, Kolkata – 700 019, e-mail: rta@cbmsl.com. Tel No. (033) 4011-6728

NOTICE is hereby further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Registers of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, July 31, 2021 to Friday, August 6, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

By Order of the Board
New Delhi Manoj Prasad Singh
July 14, 2021 Company Secretary

SBI
Networking & Communication Dept., State Bank Global IT Centre, Main Building, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai - 400 614.

CORRIGENDUM

Please refer to RFP No.SBI/GITC/NW&C/21-22/775 dated 25.06.2021 Request for proposal for procurement of Dedicated Internet Leased line (ILL) connectivity with DDoS scrubbing services and high availability at Data Centres. Corrigendum dated 13.07.2021 can be accessed under Procurement news at Bank's website **https://www.sbi.co.in** or **https://bank.sbi** or e-Procurement agency portal **https://etender.sbi/SBI/**
Place: Navi Mumbai Sd/- Deputy General Manager
Date: 15.07.2021 (Networking & Communication Dept.)

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
A Government of India (Ministry of Railways) Enterprise

STAKEHOLDERS MEET ON PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited ("DFCCIL"), a Public Sector Enterprise, under administrative control of Ministry of Railways, has been entrusted to Plan, Construct, Operate and Maintain Dedicated Freight Corridors in India. The section between Sonnagar - Dankuni (536 Kms) of EDFC has been planned to be developed through PPP mode. Of this, Sonnagar-Gomoh section of 262 km length is Phase I of the Project and is the first Billion Dollar PPP project of Indian Railways with a total project cost of more than INR 9,000 Cr. As part of the efforts towards development of the section on PPP model, DFCCIL intends to undertake stakeholder consultation on 20.7.2021 at 15:00 Hrs. to 17:00 Hrs. through video conferencing. Interested Companies/ firms and Financial Institutions can confirm their participation by email at **dkgoyal@dfcc.co.in**. Future corrigendum/addendum for this advertisement will be posted on DFCCIL website **www.dfccil.com**

ADDENDUM TO THE PUBLIC ANNOUNCEMENT IN FORM-B
(Under Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy (Liquidation Process) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF LANCO VIDARBHA THERMAL POWER LIMITED

This Addendum is with reference to the Public Announcement in Form-B issued and published in newspapers on 5th July, 2021 by and on behalf of M/s Lanco Vidarbha Thermal Power Limited (in Liquidation). **The stakeholders of M/s Lanco Vidarbha Thermal Power Limited (in Liquidation) ("Corporate Debtor") are requested to kindly note that the website of corporate debtor has been changed from http://www.lancovidarbha.in to http://www.lancovidarbha.com**

All other information and contents mentioned in the Public Announcement dated 5th July, 2021 remain unchanged.

Sd/-
Vijay Kumar Garg
Liquidator
In the matter of Lanco Vidarbha Thermal Power Limited
Reg. No. IBBI/IPA-002/IP-N00359/2017-18/11060

Res. Address: Flat No. 1402, Tower A, GPL Eden Heights, Sector 70, Darbaripur Road, Gurugram - 122101, Haryana. **Reg. Email Id:** gargvijay1704@gmail.com	**Project Specific Address for Correspondence:** C/o Sumedha Management Solutions Private Limited B-1/12, 2nd Floor, Safdarjung Enclave, New Delhi- 110029. **Contact Number:** 011-4165 4481/85 **Email Id (Process specific):** liquidation_lvtpl@sumedhamanagement.com

Place: New Delhi **Date: 15.07.2021**

IMPORTANT NOTICE TO INVESTORS

APPLY TO TIPS4MARKET (PROPRIETOR: SHRI MAHESH VAGHAJIBHAI RAMANI) FOR REFUND ON INVESTMENT ADVICE

In terms of the Order dated June 04, 2021 vide reference number WTM/AB/WRO/WRO/12151/2021-22 by Securities And Exchange Board Of India; Shri Mahesh Vaghajibhai Ramani acting in capacity of Investment Advisor has been refunding moneys to the Clients/Investors who has availed Investment Advice. The last date for receipt of Applications for Refund is fixed on September 30, 2021.

It has been decided to initiate the process of refund of the amount to the eligible investors. Eligible investors are advised to submit Bank Account details and documents as specified below by email to us, SHRI MAHESH VAGHAJIBHAI RAMANI, at mahesh.v.ramani@gmail.com and send at 423, Kumar Pra Shala, Navolo Vista, Shriram Plot, Lilapur 2, Jasdan Rajkot - 360050. latest by 90 days for receipt of refund in their Bank Account.

Investors may submit their claims by way of an Application, with the following documents (please read the instructions given below carefully) and have to mention:

i. Registered Mobile number; Name; Payment mode; Paid amount; Payment date; Service / Segment detail and other details if any
ii. ORIGINAL confirmatory letter or email / passbooks. Investors may note that Applications without original confirmatory letter or email / passbook and / or with certificates of other entities shall not be considered for verification and refund. Please note that claims relating to any other than the ones listed above shall not be entertained and will be returned to the Applicant at his/her sole risk and responsibility.
iii. Original single / full instalment receipts of amount.
iv. Self attested copies of Proof of Identity and Proof of Address
v. Self attested copy of first page of the bank passbook or cancelled cheque leaf (Refund amount will be credited to your bank account as per copy of passbook / cheque leaf).

Investors can submit one Application for Refund in respect of all his investments in the aforesaid Investment advise.

The repayments to the clients / investors shall be effected only through Bank Demand Draft or Pay Order or electronic fund transfer or through any other appropriate banking channels, which ensures audit trails to identify the beneficiaries of repayments to the person who have genuinely given the amount with aforesaid documents.The claim shall be processed in terms of SEBI direction such other process of SEBI in force and the applicable amount subject to TDS under Income Tax Act, 1961, if any, shall be credited to your Bank account in due course as per the details mentioned by you in the claim form. The payment shall be made through NEFT / RTGS / Net banking to the Bank Account given by you in the Claim Form and not by Cheque or Cash. SEBI shall endeavour to complete the refund process at the earliest.

The payments to your Bank account will be strictly restricted to the amount of total original instalment receipts submitted. Submission of original instalment receipts after the completion of processing of the claims will not be entertained and it will be at your risk and responsibility to receive them back.

Place: Ahmedabad **Date:** July 14, 2021

BNP PARIBAS
MUTUAL FUND
Investment Manager: BNP Paribas Asset Management India Private Limited (AMC)
Corporate Identity Number (CIN): U65991MH2003PTC142972
Registered Office: Crescenzo, 7th Floor, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra - East, Mumbai - 400 051.
Website: www.bnpparibasmf.in • **Toll Free:** 1800 102 2595

NOTICE CUM ADDENDUM NO. 24/2021

Notice cum Addendum to the Statement of Additional Information (SAI) of BNP Paribas Mutual Fund (the Fund):

Appointment of new Custodian:

Notice is hereby given that the Custodian of the schemes of BNP Paribas Mutual Fund shall be changed to SBI-SG Global Securities Services Private Limited (SBI-SG) from The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) with effect from August 09, 2021. SBI-SG has its registered office at B Wing, Jeevan Seva Annexe Bldg, Ground Floor, S V Road, Santacruz (West), Mumbai-400 054 and SEBI Registration Number IN/CUS/022. The Custodian will keep in safe custody all the securities and other such instruments belonging to the Schemes. The Custodian will charge a fee as per the custodial service agreement. The Trustee has the right to change the Custodian, if it deems fit.

Note: This Notice cum addendum forms an integral part of the SAI of the Fund. All other terms and conditions mentioned in the SAI remain unchanged.

For BNP Paribas Asset Management India Private Limited
(Investment Manager to BNP Paribas Mutual Fund)

Sd/- **Date :** July 14, 2021
Authorised Signatory **Place:** Mumbai

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

KERALA STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION
Transport Bhavan , Fort P.O, Thiruvananthapuram–695023
E-TENDER NOTICE

Name of Item	Qty	Last Date of Bid submission
Semi Premium Class Fully Built AC – Seater Diesel Propelled Bus	20 Nos.	06.00 PM 27.07.2021
Non-AC Air Suspension Diesel Propelled Bus	72 Nos.	
Fully Built Non AC CNG Propelled Bus	310 Nos.	Upcoming tender

For the detailed tender document visit: www.etenders.kerala.gov.in, www.keralartc.com/tenders/purchase, e-mail : sr@kerala.gov.in
sd/-
Chairman & Managing Director
14.07.2021

HDFC
MUTUAL FUND
BHAROSA APNO KA
MUTUAL FUNDS Sahi Hai
HDFC Asset Management Company Limited
A Joint Venture with Standard Life Investments
CIN: L65991MH1999PLC123027
Registered Office: HDFC House, 2nd Floor, H.T. Parekh Marg, 165-166, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020. Phone: 022 66316333 • Toll Free Nos: 1800-3010-6767 / 1800-419-7676 Fax: 022 22821144 • e-mail: hello@hdfcfund.com • Visit us at: www.hdfcfund.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that HDFC Trustee Company Limited, the Trustee to HDFC Mutual Fund ("the Fund") has approved the following Distribution under Income Distribution cum Capital Withdrawal ("IDCW") Options in the below-mentioned Scheme / Plan / Options of the Fund and has fixed **Tuesday, July 20, 2021** (or the immediately following Business Day, if that day is not a Business Day) as the Record Date for the same:

Name of the Scheme / Plan / Options	NAV as on July 13, 2021 (₹ per unit)	Amount of Distribution (₹ per unit)	Face Value (₹ per unit)
Plan launched under HDFC Fixed Maturity Plans ("FMP") - Series 40:			
HDFC FMP 1181D April 2018 (1) - Regular Option - Normal IDCW Option	12.6363	Entire Distributable Surplus#	10.0000
HDFC FMP 1181D April 2018 (1) - Direct Option - Normal IDCW Option	12.7382		
HDFC FMP 1181D April 2018 (1) - Regular Option - Quarterly IDCW Option	10.0206		
HDFC FMP 1181D April 2018 (1) - Direct Option - Quarterly IDCW Option	10.0224		

The entire distributable surplus at the time of maturity (i.e. on the Record Date) shall be distributed.

Pursuant to the Distribution, the NAV of the IDCW Option(s) of the above Plan would fall to the extent of such distribution and statutory levy, if any.

Amount will be paid, net of applicable tax deducted at source (TDS), to those Unit holders / Beneficial Owners whose names appear in the Register of Unit holders maintained by the Fund / Statements of Beneficial Ownership maintained by the Depositories, as applicable, under the IDCW Option(s) of the aforesaid Plan on the Record Date.

Unit holders who have opted to receive payout by way of physical instruments may experience delays on account of delivery constraints on the courier / postal services arising out of the unprecedented COVID-19 situation. Such Unit holders are advised to opt for payout through electronic mode(s) at the earliest due to the inherent benefits of such mode(s) such as convenience of the credit of the distribution proceeds into their bank account directly as also avoiding loss of payment instruments in transit or fraudulent encashment. Please arrange to send us a copy of a cancelled cheque of your bank account to have the electronic payout mode enabled.

Intimation of any change of address / bank details should be immediately forwarded to the Investor Service Centres of the Fund (for units held in non-demat form) / Depository Participant (for units held in demat form).

In view of individual nature of tax consequences, each investor should seek appropriate advice.

For **HDFC Asset Management Company Limited**
(Investment Manager to HDFC Mutual Fund)

Place : Mumbai Sd/-
Date : July 14, 2021 Authorized Signatory

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

SUDARSHAN
Sudarshan Chemical Industries Limited
Registered Office & Global Head Office : 162 Wellesley Road, Pune 411 001
Tel : 020-68281200 Fax : 020 26058222 CIN L24119PN1951PLC008409
E-mail : shares@sudarshan.com Website : www.sudarshan.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 70th Annual General Meeting ("AGM") of SUDARSHAN CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED ("the Company") will be held on Friday, 6th August, 2021 at 4.00 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, and Rules made thereunder, as amended from time to time, and read with General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, and General Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") ("collectively referred to as MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations, 2015"), as amended from time to time, read with SEBI Circular dated 12th May, 2020, and 15th January, 2021, to transact business set forth in the AGM Notice.

In compliance with the said MCA and SEBI Circulars, the Notice of the AGM and Annual Report 2020-21 will be sent only through email to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Transfer Agent ("RTA")/Depository Participants ("DP's"). These documents will also be available on the Company's website www.sudarshan.com and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited ("BSE") and the National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

Members can vote through remote e-voting or e-voting at the time of AGM. Instructions for remote e-voting, e-voting at the time of AGM, and procedure for attending the AGM through VC/OAVM facility for the members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses will be provided in the AGM Notice.

In view of the above, members are requested to register their email addresses or changes therein, if any, at the earliest, to receive the aforesaid AGM Notice, Annual Report and login id and password for e-voting electronically as per the details given below -

For shares held in physical mode	Visit the link of Link Intime India Private Limited ("Link Intime"), by clicking the link: https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html or through their web site www.linkintime.co.in > Investor Services > E mail / Bank Registration > select 'SUDARSHAN CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED' and follow the registration process as guided therein. On submission of the member's details, an OTP will be received by the member, which needs to be entered in the link for verification. Members are requested to provide their Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to shares@sudarshan.com or RTA at pune@linkintime.co.in
For shares held in dematerialized mode	Kindly contact your Depository Participant (DP) for registration / updation of email address.

The members (in case of holding shares in physical mode) who have not updated their bank account details for receiving the dividend, if any, directly in their bank account through electronic mode, may update their bank account details through the aforesaid link by uploading the necessary documents. The members (in case of holding shares in dematerialized mode) are requested to contact their DP for updating the bank details.

For Sudarshan Chemical Industries Limited

Sd/-
Place : Pune **Mandar Velankar**
Date : 13th July, 2021 **DGM Legal & Company Secretary**

मामले का ब्योरा न बताने से महबूबा की मां ईडी के सामने पेश नहीं हुईं

श्रीनगर, 14 जुलाई (भाषा)।

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नजीर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक नोटिस पर बुधवार को एजंसी के समक्ष पेश नहीं हुईं, क्योंकि उन्हें उस मामले का ब्योरा नहीं दिया गया, जिसमें पूछताछ की जानी है। मुफ्ती परिवार के करीबी सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने कहा कि नजीर को केवल इतना बताया गया है कि ईडी के समक्ष उनकी पेशी धनशोधन रोकथाम कानून के तहत दर्ज एक मामले में जरूरी है। सूत्रों ने कहा, 'वह ईडी के समक्ष पेश नहीं हुईं क्योंकि एजंसी ने उनके उस पत्र का जवाब नहीं दिया है, जिसमें मामले का ब्योरा पूछा गया है।' उन्होंने कहा, 'मामले में प्राथमिकी या लेनदेन संबंधी आरोपों की जानकारी अभी तक नहीं दी गई है, जिनके बारे में उन्हें उत्तर देना है।' ईडी ने नजीर को उसके समक्ष पेश होने के लिए समन भेजा था। इससे कुछ घंटे पहले ही पीडीपी ने केंद्रशासित प्रदेश के चार दिन के दौरे पर आए परिसीमन आयोग के सदस्यों से मुलाकात नहीं करने का फैसला किया था।

पंजाब समेत चार राज्यों में 80 फीसद से अधिक घरों तक पहुंचा नल से जल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 जुलाई।

घर- घर नल से जल पहुंचाने की योजना के तहत देश के चार राज्यों में 80 फीसद से अधिक घरों तक पानी पहुंच गया है। इन राज्यों में पंजाब, बिहार, गुजरात व सिक्कम राज्य शामिल है।

वहीं हरियाणा में इस मिशन के तहत 95.58 फीसद घरों तक पानी पहुंचा है। मंत्रालय के मुताबिक अब देश के 1,00,275 गांव और 50,309 पंचायतों में नल से जल मिल रहा है। 23 महीनों में 4,48,78,920 (23.69 फीसद) ग्रामीण घरों तक शुद्ध जल पहुंचाया गया है। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि जब जल जीवन मिशन की घोषणा हुई थी, तब देश के कुल 19.20 करोड़ ग्रामीण आवासों में से 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) में नल से जल की सुविधा उपलब्ध था। वर्तमान में 7,72,41,758 (40.77 प्रतिशत) ग्रामीण आवासों तक नल से जल पहुंच रहा है।

गुजरात : वेणुगोपाल से जल्द प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी बनाने की मांग

कांग्रेस की गुजरात इकाई के वरिष्ठ नेताओं ने बुधवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की और राज्य के लिए नए प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नए नेता की जल्द नियुक्ति की मांग की। सूत्रों के मुताबिक, विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेश रावल, विधायक शैलेश परमार समेत 10 से अधिक नेताओं ने वेणुगोपाल से मुलाकात की। (भाषा)

जम्मू में बीएसएफ जवानों ने सीमा के निकट उड़ती वस्तु पर चलाई गोलियां

जम्मू, 14 जुलाई (भाषा)।

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने जम्मू-कश्मीर के अरनिया सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा (आइबी) के पास एक उड़ती हुई वस्तु पर गोलियां चलाईं, जिसमें लाल रंग की रोशनी चमक रही थी।

13 और 14 जुलाई की दरमियानी रात अरनिया सेक्टर में जवानों ने करीब 200 मीटर की ऊंचाई पर टिमटिमाती लाल बत्ती देखी थी।

सरकारी मंजूरी के बाद भी नहीं खुले अधिकांश सिनेमाघर

इंदौर, 14 जुलाई (भाषा)।

मध्य प्रदेश सरकार ने नए मामलों में बड़ी कमी को देखते हुए सिनेमाघरों को 50 फीसद क्षमता से दोबारा खोले जाने को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन नई फिल्मों और दर्शकों के टोटे के कारण इनकी रौनक लौटने में अभी और समय लग सकता है। फिल्म वितरकों के संगठन सीसीसीए के निदेशक ओपी गोयल ने बुधवार को बताया, 'राज्य सरकार की हरी झंडी के बावजूद फिलहाल सूबे के 250 सिनेमाघरों में से इक्का-दुक्का सिनेमाघर ही दोबारा खुले हैं।'

बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda

शाखा कार्यालयः डी-2/211, मुनीरका, नई दिल्ली-110067

कब्जा सूचना

नियम 8(1) के अधीन सुरक्षित ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निमार्ण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अध्यादेश अधिनियम, 2002 के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा, मुनीरका, नई दिल्ली शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 28.04.2021 जारी कर ऋणधारक **मैसर्स बालाजी एण्टरप्राईजेज मालिक श्रीमती सुमन रानी** को 31.03.2021 को सूचना में उल्लिखित राशि रू.56,00,667/- (छप्पन लाख छः सौ सड़सठ रूपये मात्र) को वापस लौटाने के साथ-साथ उस पर आगे ब्याज के साथ उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान की तिथि तक संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज सहित लागत, प्रभार एवं व्यय के साथ चुकाने के लिए कहा गया था। ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज 8 जुलाई, 2021 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों/गारंटरों/बंधककर्ता तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रू.56,00,667/- (छप्पन लाख छः सौ सड़सठ रूपये मात्र) भुगतान की तिथि तक संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज सहित लागत, प्रभार एवं व्यय के साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुनीरका, नई दिल्ली शाखा के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती सुमन रानी एवं श्री राजेश कुमार के नाम पर डीडीए एमआईजी फ्लैट नं.129, भूतल, पॉकेट-डी, सेक्टर-17, द्वारिका, फेज-2, नई दिल्ली-110078 से युक्त सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से। सुपर एरिया 624 वर्ग फीट, जो घिरा है:

उत्तर में: फ्लैट नं.130 — दक्षिण में: प्रवेश
पूर्व में: फ्लैट नं.131 — पश्चिम में: खुला हुआ

तिथि: 08.07.2021
स्थान: नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ बड़ौदा

एसबीएफसी फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड

SBFC

(तात्कालिक स्मॉल बिजनेस फिनक्रेडिट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड)
पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नं. 103, प्रथम तल, सीएंडबी स्क्वॉयर, संगम कॉम्पलैक्स, ग्राम चकला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400059

मांग सूचना

जैसा कि नीचे वर्णित ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों ने देवन हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लि. (डीएचएफएल) से वित्तीय सहायता प्राप्त किया था। एसाइन्मेन्ट प्रलेख तिथि 14 जून, 2019 के अनुसार डीएचएफएल ने वित्तीय परिसम्पत्तियों तथा अन्य अधिकारों को प्रतिभूतिकरण न्यास के पक्ष में अंतरित एवं सौंप दिया। बाद में प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट ने अंडरलाईंग प्रतिभूतियों के प्रवर्तन सहित इस प्रकार के अन्य कार्यों को पूरा करने के लिये एसबीएफसी फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड को नियुक्त किया। हम स्पष्ट करते हैं कि वित्तीय सहायता प्राप्त किये होने के बावजूद ऋणधारकों/मार्टगैजरों ने नियत तिथि के अनुसार ब्याज तथा मूलधन राशि के पुनर्भुगतान में कई चूक की। बाद में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार नीचे वर्णित संबंधित तिथियों को खाता को गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। पुनः वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफैसी अधिनियम") के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर प्राधिकृत अधिकारी ने यहां नीचे वर्णित तिथियों को मांग सूचनाएं जारी कर ऋणधारकों/मार्टगैजरों को सूचना प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि पर अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक आनुषंगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के भुगतान का निर्देश दिया।

ये सूचनाएं उनके अंतिम ज्ञात पते पर जारी की गई थी जो बिना सर्व हुए वापस लौट आई अतः इस सार्वजनिक सूचना के द्वारा उन्हें उसके विषय में सूचित किया जाता है:

ऋणधारक का नाम एवं ट्रस्ट का पता	सूचना एवं एनपीए की तिथि	ऋण सं. एवं बकाया राशि	प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण
1. नवरतन गोयल, 2. विशाल चंद गोयल, 3. पाना सवरलाल, सभी निवासीः 382,, लक्ष्मी नगर, संसायटी, एलएफ रोड, सूरत सिटी, सूरत, करंज, सूरज, गुजरात-395006 ट्रस्ट का नामः एसबीएफसी एचएल ट्रस्ट, जून, 2019	सूचना तिथिः 11 मई, 2021 एनपीए तिथिः 31 मार्च, 2021	ऋण खाता सं. 06100003228DH (PR00683597) ऋण राशिः रु. 2033135/- (रु. बीस लाख तैंतीस हजार एक सौ पैंतीस मात्र) बकाया राशिः रु. 2283935/- (रु. बाईस लाख तिरासी हजार नौ सौ पैंतीस मात्र) 4 मई, 2021 को।	मोहल्ला सशियान के पश्चिम साईड, मौजा तहसील नोखा, जिला बीकानेर, माप 3200 वर्ग फीट में स्थित आवासीय प्लॉट नं. 352 की सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। उत्तरः प्लॉट नं. 1157, दक्षिणः प्लॉट नं. 351, पूर्वः प्लॉट नं. 345, पश्चिमः रास्ता, कंकड़िया चौक के निकट, फौजी कॉलोनी, रूरल बीकानेर, राजस्थान-334803
1. महावीर प्रसाद 2. चंदा देवी दोनों निवासीः दम्मानी हॉस्पीटल जस्सोलाल तलाई, नया शहर, बीकानेर, राजस्थान-334001 ट्रस्ट का नामः एसबीएफसी एचएल ट्रस्ट, जून, 2019	सूचना तिथिः 15 मई, 2021 एनपीए तिथिः 31 मार्च, 2021	ऋण खाता सं. 06100003616DH (PR00683638) ऋण राशिः रु. 1001941/- (रु. दस लाख एक हजार नौ सौ इकतालीस मात्र) बकाया राशिः रु. 1104202/- (रु. ग्यारह लाख चार हजार दो सौ दो मात्र) 10 मई, 2021 को।	जसोलाई तलाई, बीकानेर, माप 342.63/4 वर्ग फीट (पट्टा सम्वन्त 1963) में स्थित मकान की सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः पूर्वः श्री महावीर प्रशाद का मकान, पश्चिमः मार्ग, उत्तरः श्री फकीर दास, वर्तमान में श्री शिव लाल का मकान, दक्षिणः गली

उपरोक्त परिस्थिति में उक्त ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर आगे के ब्याज तथा लागू शुल्कों के साथ उपरोक्त बकाये का भुगतान करें अन्यथा इस सूचना के 60 दिनों की समाप्ति के बाद सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) तथा उसके अंतर्गत लागू नियमों के अंतर्गत ऋणधारकों तथा मार्टगैजरों की प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को कब्जे में लेने सहित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध आगे कार्रवाई की जायेगी।

कृपया ध्यान रहे कि सरफैसी अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत ऋणधारक प्रतिभूत क्रेडीटर की पूर्व लिखित अनुमति के बिना सूचना में वर्णित अपनी प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टा या किसी अन्य रूप से अंतरण नहीं करेंगे।

हस्ता./-

तिथिः 15 जुलाई, 2021 — (जोयल नादर) प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः राजस्थान — एसबीएफसी फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड

SREI श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड

CIN : U70101WB2006PLC109898
डी2, 5वीं मंजिल, सदर्न पार्क, साकेत, नई दिल्ली 110017
दूरभाषः +91 11 66025700, 18002667734 (टोल फ्री)
ईमेलः sefpl@srei.com वेबसाइटः www.srei.com
प्रधान कार्यालयः प्लॉट नं. वाई-10. ब्लॉक ईपी, सेक्टर-V, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700091
पंजीकृत कार्यालयः विश्वकर्मा 86सी, तोपसिया रोड (दक्षिण), कोलकाता-700046

कब्जा सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

चूंकि,

वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 (नियमों) के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने कथित नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर निम्नलिखित ऋण एग्रीमेंट के संबंध में नोटिस में वर्णित **15 मार्च 2021** को बकाया **45,95,73,166/- रु. (केवल पैंतालीस करोड़ पचानवे लाख तिहत्तर हजार एक सौ छियासठ रुपए)** की अदायगी के लिए **मै. प्लासिड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड**, जिसका CIN U51109DL2009PTC186379 है, पंजीकृत कार्यालयः 909, इंटरनेशनल ट्रेड टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110019 (पहले 1114, इंटरनेशनल ट्रेड टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110019) (**"कर्जदार"** होने के नाते) और **श्रीमती रश्मि जैन**, पत्नी विजय कुमार जैन, PAN AAGPJ3943D मकान नंबर- डब्ल्यू-76, जी.के.-2, ग्रेटर कैलाश पार्ट- II, साउथ दिल्ली, नई दिल्ली- 110048 और **अभिलाषा अग्रवाल**, पुत्री विजय कुमार जैन, PAN AAEPA9515G मकान नंबर-एस-474, जी.के.-2, ग्रेटर कैलाश पार्ट- II, साउथ दिल्ली, नई दिल्ली- 110048 (**"सह-कर्जदार"** होने के नाते) और **मनीष कांत अग्रवाल** सुपुत्र ओम प्रकाश अग्रवाल, PAN AEXPA0593B मकान संख्या-एस-474, जी.के-2, ग्रेटर कैलाश पार्ट-II, नई दिल्ली-110048 (**"गारंटर"** होने के नाते) को आमंत्रित करते हुए दिनांक 08 अप्रैल, 2021 को डिमांड नोटिस जारी किया था।

ऋण राशि	एग्रीमेंट नं.	दिनांक
280000000	166454	24 जुलाई, 2018
47730000	177260	6 फरवरी, 2019
4500000	183571	2 जनवरी, 2020
16500000	186325	23 मार्च, 2020

कर्जदार द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, कर्जदार और आम जनता को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए **दिनांक 12 जुलाई, 2021** को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

कर्जदार को विशेष तौर पर व आम जनता को सामान्य तौर पर सम्पत्ति के साथ लेन-देन करने से एतद्द्वारा सावधान किया जाता है और सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन राशि **45,95,73,166/- रु. (केवल पैंतालीस करोड़ पचानवे लाख तिहत्तर हजार एक सौ छियासठ रुपए)** और उस पर ब्याज के लिए **श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार के ध्यान में लाया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिभूतित सम्पत्तियों को रिडीम के समय उपलब्ध है।

अचल संपत्ति का विवरण

(मूल विक्रय विलेख दिनांकित 26 दिसम्बर 2007 में वर्णित अनुसार, जो उप-रजिस्टर-V, नई दिल्ली में श्रीमती रश्मि जैन के पक्ष में पंजीकृत मेसर्स कामाख्या इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निष्पादित तथा जिसकी पंजीकृत दस्तावेज सं. 15959, अतिरिक्त पुस्तक सं. 1, संस्करण सं. 4818 में पृष्ठ सं. 1-54 दिनांकित 26 दिसम्बर, 2007 है)

पंजीकरण जिला नई दिल्ली के भीतर दक्षिण दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली- 110048 की सीमा के भीतर ग्राम-बहापुर के राजस्व एस्टेट में ग्रेटर कैलाश पार्ट II के नाम से जानी जाने वाली आवासीय कॉलोनी में स्थित 28000 वर्ग फुट के जी+3 बंगले के साथ-साथ भूमि धारक नं. 5, ब्लॉक डब्ल्यू, रकबा 1140 वर्ग यार्ड के आवासीय प्लॉट के सभी अंग के साथ स्वीकृत योजना और सभी बिक्री योग्य क्षेत्र और उस पर सभी निर्माण और संरचनाओं के साथ-साथ सभी सामान्य क्षेत्रों, सुविधाओं और अन्य सुविधाओं और उससे जुड़ी आकस्मिताओं और पृथ्वी से जुड़ी या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी कोई भी चीज और सभी लाभों के साथ चाहे वर्तमान या भविष्य और पेड़, बाड़ और हेजेज, खाई, नालियां, पानी, जल स्रोत, स्वतंत्रता, विशेषाधिकार, सुखभोग और संलग्नक चाहे वर्तमान में अस्तित्व में हों या भविष्य में या किसी भी तरह से संलग्न हों या आमतौर पर आयोजित, कब्जा या आनंद लिया गया हो और सभी संपत्ति, पूर्ण अधिकार, शीर्षक, ब्याज, संपत्ति, दावा और मांग जो भी हो।

कथित संपत्ति नीचे दिए अनुसार सीमाबद्ध है:-

उत्तर में : रोड
दक्षिण में : कॉलोनी चारदीवारी
पूर्व में : प्लॉट नं. डब्ल्यू-3
पश्चिम में : प्लॉट नं. डब्ल्यू-7

श्री अजय कुमार गुप्ता
प्राधिकृत अधिकारी
(श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड)

दिनांकः 12 जुलाई, 2021
स्थानः नई दिल्ली

जीई टीएंडडी इंडिया लिमिटेड

(CIN: L31102DL1957PLC193993)
पंजीकृत कार्यालयः ए-18, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-2, नई दिल्ली-110020
फोन नः 91-11-4161 0660
वेबसाइटः http://www.ge.com/in/ge-td-india-limited

65वीं वार्षिक आम सभा, रिमोट ई-वोटिंग सूचना एवं पुस्तिका बन्दी की सूचना

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि व्यवसाय के निष्पादन के लिए, कंपनी की 65वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) शुक्रवार, अगस्त 6, 2021 को भारतीय मानक समय अनुसार, दोपहर 3:00 बजे, सूचना में वर्णित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("वीसी / ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार द्वारा जारी नंबर 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 के जनरल सर्कुलर्स तथा सेबी द्वारा (इसके बाद सामूहिक रूप से "सर्कुलर्स" संदर्भित) जारी सर्कुलर नंबर SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 और SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 को कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य लागू कानूनों से मिलाकर पढ़े जाने के उपरांत, कंपनी की वार्षिक आम सभा (एजीएम) वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

सदस्यों को एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि 65वीं वार्षिक आम सभा की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी के साथ रिमोट ई-वोटिंग एवं वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के निर्देश, जुलाई 9, 2021 को उन सभी सदस्यों को भेजी गई है, जिनके ईमेल आईडी कम्पनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के पास पंजीकृत हैं। ये सभी दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट https://www.ge.com/in/ge-td-india-limited/reports-financials, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट्स (http://bseindia.com/ और http://nseindia.com/) तथा नेशनल सिक्योरिटिज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी मौजूद हैं। वे सदस्य जिन्हें उपरोक्त दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए, वे कंपनी की वेबसाइट से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं अथवा जुलाई 9, 2021 को कंपनी द्वारा फाइनेंशियल एक्सप्रेस (सभी संस्करणों) और जनसत्ता (नई दिल्ली) में प्रकाशित सूचना के अनुसार अपने ई-मेल पते को पंजीकृत / नवीनीकरण कर सकते हैं। उपरोक्त सूचना की प्रति कम्पनी और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014, संशोधित नियम 20 एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 के नियम 44 के अनुसार कम्पनी एतद्द्वारा अपने सदस्यों को वार्षिक आम सभा में विचार के लिए प्रस्तावित किए जाने वाले संकल्पों के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान करने तथा ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से व्यवसाय संव्यवहार करने की सुविधा प्रदान की गई है। वार्षिक आम सभा के स्थान के अलावा अन्य स्थान से इलेक्ट्रानिक मतदान विधि का उपयोग करने वाले सदस्यों द्वारा मतदान करने की यह सुविधा ("रिमोट ई-वोटिंग") नेशनल सिक्योरिटिज डिपोरिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल) द्वारा प्रदान की जाएगी।

वे सदस्य जो एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने पंजीकृत ईमेल के माध्यम से अपना नाम, डीमेट खाता / फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कंपनी को भेजकर अपना पंजीकरण company.secretary@ge.com पर करा सकते हैं। वक्ता के लिए पंजीकरण बुधवार, अगस्त 4, 2021 सांय 3:00 बजे तक खुला रहेगा।

कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उक्त नियमावली के यथा संशोधित नियम 20 के प्रावधानों के अनुसरण से संबंधित विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है:

1. वार्षिक आम सभा की सूचना में निर्धारित साधारण एवं विशेष व्यवसाय का संव्यवहार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान द्वारा किया जा सकेगा।
2. रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, अगस्त 3, 2021 को प्रातः 9 बजे (भारतीय मानक समय अनुसार) प्रारम्भ होगी।
3. रिमोट ई-वोटिंग गुरुवार, अगस्त 5, 2021 को सायं 5 बजे (भारतीय मानक समय अनुसार) समाप्त होगी।
4. अगस्त 5, 2021 को सायं 5 बजे (भारतीय मानक समय अनुसार) के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की अनुमति नहीं होगी।
5. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अथवा वार्षिक आम सभा में मतदान करने की पात्रता का निर्धारण करने की अंतिम तिथि जुलाई 30, 2021 होगी।
6. यदि किसी व्यक्ति ने कम्पनी के शेयर प्राप्त किए हैं तथा वह सभा की सूचना प्रेषित किए जाने की तिथि के पश्चात सदस्य बना है और अंतिम तिथि अर्थात जुलाई 30, 2021 की स्थिति के अनुसार शेयरधारी है तो वह evoting@nsdl.co.in अथवा श्री सुजीत सेनगुप्ता, मैसर्स सी. बी. मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए), टेलीफोन नम्बर (033) 4011-6728, ईमेल : rta@cbmsl.com द्वारा सम्पर्क स्थापित करके, अपनी लॉगिन आई.डी. तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि कोई सदस्य एन.एस.डी.एल में रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही पंजीकृत है तो वह अपनी विद्यमान यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड का उपयोग रिमोट ई-वोटिंग के लिए भी कर सकेगा।
7. ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की सुविधा वार्षिक आम सभा में उपलब्ध करवाई जाएगी तथा जिन सदस्यों ने अपना मतदान रिमोट ई-वोटिंग द्वारा नहीं किया है, वे कम्पनी द्वारा उपलब्ध ई-वोटिंग की सुविधा से मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे।
8. जिन सदस्यों ने अपना मतदान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम कर दिया है वे सदस्य सभा में भाग ले सकते हैं परन्तु उन्हें फिर से अपना मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
9. केवल वही व्यक्ति जिनके नाम सदस्यों की पंजी में अथवा डिपोस्टिरी द्वारा अनुरक्षित लाभग्राही स्वामियों की पंजी में कट ऑफ तिथि जुलाई 30, 2021 की स्थिति तक आलेखित किए गए होंगे, वार्षिक आम सभा के दौरान ई-वोटिंग कम्पनी द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली ई-वोटिंग अथवा वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के पात्र होंगे।
10. वार्षिक आम सभा की सूचना वेबसाइटः https://www.ge.com/in/ge-td-india-limited/reports-financials तथा एन.एस.डी.एल. की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर प्रदर्शित की गई है।
11. सदस्य, ई-वोटिंग अथवा वीसी / ओएवीएम एवं एजीएम में भाग लेने के संदर्भ में किसी भी तरह की पूछताछ के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.) से एवं रिमोट ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो https://evoting.nsdl.com के "डाउनलोड" खंड में उपलब्ध हैं अथवा टोल फ्री नम्बर 1800-222-990 पर सम्पर्क कर सकते हैं। ई-वोटिंग से संबंधित किसी प्रकार के प्रश्न / शिकायत श्री सुजीत सेनगुप्ता, मैसर्स सी. बी. मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पी-22, बोंडेल रोड, कोलकाता - 700 019, ई-मेलः rta@cbmsl.com टेलीफोन नम्बर (033) 4011-6728 पर भी भेजी जा सकती है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 91 तथा उसके अधीन लागू नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग के दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार कम्पनी के सदस्य पंजिका एवं शेयर हस्तांतरण पुस्तिका शनिवार, जुलाई 31, 2021 से शुक्रवार, अगस्त 6, 2021 (दोनों दिन मिलाकर) तक वार्षिक आम सभा के कारण बंद रहेगीं।

बोर्ड के आदेशानुसार
मनोज प्रसाद सिंह
कंपनी सचिव

नई दिल्ली
जुलाई 14, 2021

इंडिया रिसर्जेन्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड India RF

तृतीय तल, यूनिट 304, पिरामल टॉवर, पेनिन्सुला कॉर्पोरेट पार्क, लोअर परेल, मुंबई-400013

परिशिष्ट-IV-ए (नियम 8(6) देखें)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी सूचना

एतद् द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है, कि निम्नांकित बंधक अचल संपत्ति जोकि लोन एग्रीमेंट नं. **XMORPNG00077224** द्वारा **रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड** (बाद में "सुरक्षित लेनदार" के रूप संदर्भित किया जाएगा) के पास गिरवी थी तथा सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी एक्ट 2002) के नियम 13(2) के तहत दिनांक **24.06.2020** को जारी मांग सूचना के 60 दिन के पश्चात उधारकर्ता द्वारा ऋण चुकता करने में असफलता के उपरांत सुरक्षित लेनदार ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(3) तथा धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बंधक संपत्ति का **06.03.2021** को भौतिक कब्जा लेने के उपरांत ई नीलामी की सूचना दी जाती है।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13(4) के प्रावधानों के तहत कब्जा लेने के उपरांत इस संबंध में सूचना दिनांक **09.03.2021** को **"फायनेंशियल एक्सप्रेस"** (अंग्रेजी) संस्करण और **"जनसत्ता"** (हिन्दी) समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था।

जबकि उधारकर्ता देय राशि को चुकाने में विफल रहा है, सुरक्षित लेनदार ने संबंधित ऋण समझौते को अपने सभी अधिकारों, शीर्षक, ब्याज, और किसी भी अंतर्निहित सुरक्षा ब्याज प्रतिज्ञा या गारंटी के साथ ऐसे ऋणों को एक ऋण समझौते के तहत **इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राईवेट लिमिटेड को** सौंपे है। जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्मित, (सरफेसी एक्ट 2002) के सेक्शन 3 अनुसार एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में दिनांक **05.11.2019** को हस्ताक्षरित डीड द्वारा पंजीकृत है। अधोहस्ताक्षरी, **इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राईवेट लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उधारकर्ता और गारंटर **पूना कलकत्ता रोड कैरियर**, प्रोपराइटर मोहम्मद राहिस के माध्यम से, **2. अमीर खान, 3. इक्बाल बेगम, 4. मोहम्मद राहिस्** द्वारा **दिनांक 17.06.2020 तक** बकाया देय राशि **रू. 1,42,27,595.08 (रुपए एक करोड़ बयालिस लाख सत्ताईस हजार पांच सौ पिचानवे और आठ पैसे केवल)** तथा ब्याज और अन्य संविदात्मक देय राशि की वसूली हेतु निम्न संपत्तियों का **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो भी है'**, तथा **'जो कुछ भी है'** के आधार पर संपत्तियों को बेचने का निर्णय लिया है।

उक्त संपत्ति की नीलामी के लिए ऑनलाइन टेंडर जमा करने से पहले आरक्षित मूल्य **रू. 1,44,00,000 (रुपये एक करोड़ चवालिस लाख केवल)** और बयाना राशि **रू. 14,00,000** अर्थात आरक्षित मूल्य का 10%, **"इंडिया रिसर्जेंस एआरसी ट्रस्ट II"** के पक्ष में, **बैंक खाता 57500000340699, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड**, के खाते में डीडी / आरटीजीएस के माध्यम से जमा किया जाएगा। सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की **25%** राशि (10% बोली राशि जमा को घटा कर) बोली की स्वीकृति के समय यानी उसी दिन भुगतान करना होगा। बिक्री की कीमत का **75%** शेष राशि की स्वीकृति की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति के सभी भाग : 75 वर्ग गज फ्री होल्ड संपत्ति नं. 4, ब्लॉक डी का आधा बना हुआ हिस्सा, जो खसरा नं. 262/258/217/14 में से निर्मित है और जो ग्राम भारोला कालोनी जो आदर्श नगर के नाम से जानी जाती है राणा प्रताप रोड, दिल्ली-110033 में स्थित है। व इसकी चारदीवारी है: पूर्व : संपत्ति संख्या डी 6; पश्चिम : संपत्ति का शेष भाग; उत्तर : राणा प्रताप रोड; दक्षिण : लेन 10 फुट।

नीलामी के नियम व शर्तेः

1. ई-नीलामी / बोली केवल "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" वेबसाइट **https://bankauctions.com** के माध्यम से होगी। बोली लगाने वालों को ई-नीलामी बिक्री की कार्यवाही में भाग लेने से पहले विस्तृत शब्दों और प्रकिया के लिए वेबसाइट को देखने की सलाह दी जाती है।
2. प्राधिकृत अधिकारी के साथ पूर्व नियुक्ति के साथ उल्लिखित नीलामी की तिथि या उससे पहले संपत्ति और संपत्ति के दस्तावेजों का निरीक्षण किया जा सकता है।
3. संपत्ति को आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं बेचा जाएगा और तदनुसार प्रतिभागी बोलीकर्ताओं को आरक्षित मूल्य से अधिक बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है और नीलामी प्रक्रिया के दौरान अपने प्रस्ताव को और बढ़ा सकते हैं।
4. आरक्षित मूल्य का 10% की ईएमडी राशि, दस्तावेजों के साथ दिनांक **18.08.2021** सांय 5.00 बजे तक या उससे पहले, **"इंडिया रिसर्जेंस एआरसी ट्रस्ट II"** के पक्ष में, **बैंक खाता 57500000340699, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड**, के खाते में डीडी / आरटीजीएस के माध्यम से जमा करनी होगी।
5. **ई-नीलामी 20.08.2021** को **सांय 03:30 बजे से 04:30 बजे तक** तथा उसके उपरांत 60 मिनट के लिए प्रत्येक 5 मिनट के ऑटो एक्सटेंशन के साथ आयोजित की जाएगी।

ईएमडी राशि के भुगतान के बाद, इच्छुक बोलीदाताओं को **निम्नलिखित दस्तावेजों / विवरण की प्रतिलिपि** को **20.08.2021 को प्रातः 11:30 बजे** तक या उससे पहले जमा करें: **''इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राईवेट लिमिटेड '' श्री शक्ति श्रीवास्तव (Email: Shakti, Srivastava@IndiaRF.com) व श्री दीपक खन्ना - 9818164585 के माध्यम से, ''इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राईवेट लिमिटेड'' कार्यालय : 304, तृतीय तल, पिरामल टॉवर, पेनिन्सुला कॉर्पोरेट पार्क, लोअर परेल, मुंबई-400013**

6. व्यक्तिगत रूप से या ईमेल के माध्यम से।
   क. ईएमडी राशि की डिमांड ड्राफ्ट / आरटीजीएस की फोटोकॉपी।
   ख. केवाईसी की फोटोकॉपी जैसे पैन कार्ड, आईडी प्रमाण और पते का प्रमाण। सफल बोलीदाता को बोली राशि के 25% की शेष राशि का भुगतान करने के समय मूल रूप से इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा।
   ग. बोलीदाता का नाम, संपर्क नंबर, पता, ईमेल आईडी।
   घ. ईएमडी के ऑनलाइन रिफंड के लिए बोलीदाता का खाता नं.।
7. इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल **https://www.bankauctions.com** पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करें। संभावित बोलीदाता ई-नीलामी पर ऑनलाइन सेवा का लाभ के लिए संपर्क करें सेवा प्रदाता **मैसर्स 4क्लोजर, हैदराबाद हेल्पलाइन नं.: 0814200062/65/66 और ईमेलः info@bankauctions.in संपर्क व्यक्ति : विकास कुमारः 08142000809, 08076427383, ईमेलः vikas@bankauctions.in**
8. असफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी उन्हें वापस कर दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
9. नीलामी आरक्षित मूल्य पर शुरू होगी, जैसा कि ऊपर बताया गया है। बोलीदाता रू. 10,000/- के गुणकों में अपने प्रस्तावों की वृद्धि करेंगे। "ऑनलाइन" नीलामी बंद करने पर सबसे अधिक बोली (आरक्षित मूल्य से ऊपर) लगाने वाले बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। बिक्री की पुष्टि सफल बोलीदाता के पक्ष में की जाएगी, जिसकी पुष्टि **"इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राईवेट लिमिटेड"** के अधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी।
10. सफल बोलीदाता बिक्री मूल्य का 25% (पहले से भुगतान किए गए ईएमडी को मिलाकर) उसे सफल बोलीदाता घोषित करने पर तुरंत जमा करेगा, और शेष राशि **"इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राईवेट लिमिटेड"** के अधिकृत अधिकारी द्वारा बोली की पुष्टि करने के 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी। यदि सफल बोलीदाता बिक्री मूल्य का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा जो भी जमा की राशि है वह प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिना किसी सूचना के जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा।
11. सफल बोलीदाता सभी खर्चों को वहन करेगा, जिसमें वैधानिक बकाया / बिल आदि नगर निगम / सोसायटी या किसी भी अन्य प्राधिकारी और 'बिक्री प्रमाण पत्र' के पंजीकरण के लिए स्टैंप शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि देय होंगे।
12. **''इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड''** किसी भी प्राधिकरण से अन्य कानून के तहत किसी भी अनुमति / एनओसी करने की पेशकश, संपत्ति की अन्य बकाया राशि अर्थात बकाया पानी / बिजली बकाया, संपत्ति कर या अन्य शुल्क, यदि कोई हो जिम्मेदारी नहीं लेता है।
13. प्राधिकृत अधिकारी को बिना किसी कारण बताए या बिना किसी पूर्व सूचना के बिक्री के किसी भी नियम को संशोधित करने या बिक्री को रद्द करने या किसी भी या सभी प्रस्तावों / बोलियों को स्थगित करने या रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।
14. अपने सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार बेची जाने वाली संपत्तियों के बारे में **''इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड''** को **''सुरक्षित लेनदार''** को छोड़कर कोई भी देनदारी की जानकारी नहीं है। इच्छुक पार्टियां को अपनी बोली जमा करने से पहले अपनी संतुष्टि के लिए संपत्तियों के शीर्षक इत्यादि के बारे में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। **''इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड''** उपरोक्त संपत्ति की फिटनेस / शीर्षक के संबंध में किसी भी तरह से गारंटी नहीं देता है या कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
15. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें : **श्री शक्ति श्रीवास्तव : shakti.srivastav@IndiaRF.com, 9811749628 पर या श्री दीपक खन्ना - 9818164585 पर या** सेवा प्रदाता **मैसर्स 4क्लोजर, हैदराबाद हेल्पलाइन नं.: 0814200062/65/66 और ईमेल : info@bankauctions.in संपर्क व्यक्ति : विकास कुमारः 08142000809, 08076427383, ईमेल : vikas@bankauctions.in**

विशेष निर्देश / चेतावनी :

बोली लगाने वालों को अपने हित में अंतिम मिनट / सेकंड में बोली लगाने से बचना चाहिए। ''इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड'' और सेवा प्रदाता ऐसे मामलों में बोली लगाने वाले या विक्रेता की ओर से किसी भी चूक / विफलता (इंटरनेट विफलता, बिजली की विफलता, आदि) के लिए जिम्मेदार नही होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति को दूर करने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं / विकल्प जैसे बैक-अप, बिजली की आपूर्ति और जो कुछ भी आवश्यक हो की व्यवस्था करें ताकि वह नीलामी में भाग लेने में सक्षम हों।

उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर / बंधक को सूचित किया जाता है कि वह बकाया देय राशि का भुगतान उपरोक्त ब्याज और सहायक खर्चों के साथ नीलामी से पहले करें अन्यथा उल्लिखित बंधक संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी और शेष बकाया राशि को, यदि कोई है, को ब्याज / लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

दिनांक : 14.07.2021 — इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी

प्ररूप संख्या आईएनसी-26
(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में
और

बाविन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U74140HR2003PTC056891)
जिसका पंजीकृत कार्यालयः बी-253, पहली मंजिल, नेहरू ग्राउंड, एन.आई.टी. फरीदाबाद, हरियाणा- 121001 है, के मामले में
....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"हरियाणा राज्य"** से **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** में स्थानांतरित करने के लिए **शुक्रवार, 9 जुलाई 2021** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

बी-253, पहली मंजिल, नेहरू ग्राउंड, एन.आई.टी. फरीदाबाद, हरियाणा- 121001

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
बाविन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
साकेत जैन
(निदेशक)

दिनांक : 14.07.2021
स्थान : फरीदाबाद
डीआईएनः 09212237

प्ररूप सं. आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा

मै. नेक्स्टजेन इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड (CIN-U51909DL2010PTC198840) जिसका पंजीकृत कार्यालय हैः 1-ई/18, तीसरा तल, झण्डेवालान एक्स्टें., झण्डेवालान मेट्रो स्टेशन के निकट, सेन्ट्रल दिल्ली, नई दिल्ली-110055 के मामले में।

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **''दिल्ली राज्य''** से **''हरियाणा राज्य''** में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 17.05.2021 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल **(www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेंः

1-ई/18, तीसरा तल, झण्डेवालान एक्स्टें., झण्डेवालान मेट्रो स्टेशन के निकट, सेन्ट्रल दिल्ली, नई दिल्ली-110055

बोर्ड के आदेश से
नेक्स्टजेन इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड के लिये
हस्ता./-

तिथिः 15.7.2021 — (ज्ञान प्रकाश) निदेशक
स्थानः दिल्ली — DIN: 02869121

मैसर्स भारत भूषण फाइनेंस ऐंड कमोडिटी ब्रोकर्स लिमिटेड
पंजी. कार्यालय : 503, रोहित हाउस, 3, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001
(सीआईएन-L67120DL1992PLC049038), फोन नंबर : 011-49800900, फैक्स : 011-49800933
ई-मेल : commodities@bharatbhushan.com वेबसाइट : www.bbinvestments.in

शेयरधारकों को सूचना

इक्विटी शेयर्स का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरण हेतु
(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार)

यह सूचना कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124(6) के साथ पठित दिनांक 07 सितम्बर, 2016 से लागू कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षण, अंतरण एवं वापसी) नियमावली, 2016 ("आईईपीएफ नियमावली") के अनुसरण में दी जा रही है।

भारत भूषण फाइनेंस ऐंड कमोडिटी ब्रोकर्स लिमिटेड ("कम्पनी") के इक्विटी शेयरधारकों को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधिनियम की धारा 124(6) के साथ पठित आईईपीएफ नियमावली के प्रावधानों के अनुसार वे सभी शेयर, जिनके संबंध में सात लगातार वर्षों या अधिक हेतु लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है अथवा उसकी मांग नहीं की गई है, कम्पनी द्वारा विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ("आईईपीएफ प्राधिकरण") के डीमैट खाते में, आईईपीएफ नियमावली के तहत निर्धारित ढंग से, अंतरित किए जाने अपेक्षित हैं।

तदनुसार, उन समस्त संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत सूचना कम्पनी के पास उपलब्ध उनके नवीनतम पते पर भेजी जा रही है, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु लाभांश और कम्पनी द्वारा घोषित सभी अनुवर्ती लाभांश हेतु दावा नहीं किया गया है/नकदीकृत नहीं किए गए हैं तथा जिनके शेयर(शेयर्स) आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किए जाने के भागी हैं। कम्पनी ऐसे शेयरधारकों (शेयरधारकों के नाम उनका फोलियो नंबर अथवा डीपी आईडी-क्लाइंट आईडी सहित) तथा आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किए जाने के भागी उनके शेयर्स का विस्तृत विवरण अपनी वेबसाइट www.bbinvestments.in पर भी अपलोड कर चुकी है। संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किए जाने के भागी शेयर्स के विस्तृत विवरण की जांच हेतु उपरोक्त वेबसाइट देखें।

यदि कम्पनी को संबंधित शेयरधारक(कों) से 15 अक्टूबर, 2021 तक वैध दावा प्राप्त नहीं होता है तो कम्पनी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में शेयर अंतरण की कार्यवाही आगे बढ़ाएगी।

आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने के भागी शेयर यदि भौतिक रूप में धारित हैं, तो कम्पनी आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित करने के लिए डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट(स) जारी करेगी तथा डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स जारी करने के बाद, मूल शेयर सर्टिफिकेट्स निरस्त और अमान्य होंगे। डीमैट रूप में धारित शेयरों के संबंध में, कम्पनी कार्पोरेट कार्यवाही के माध्यम से डिपॉजिटरी को, जहां शेयरधारक का खाता है, आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित करने हेतु सूचना प्रेषित करेगी।

यदि संबंधित शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित अदावित लाभांश और शेयर्स, ऐसे शेयर्स पर उद्भूत सभी लाभों सहित, यदि कोई, की मांग करने के इच्छुक हैं, तो आईईपीएफ नियमावली के तहत निर्धारित अनुसार प्रपत्र आईईपीएफ-5 ऑनलाइन में आईईपीएफ प्राधिकरण में एक अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा, उक्त प्रपत्र आईईपीएफ प्राधिकरण की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है। उक्त आवेदन की विधिवत हस्ताक्षरित भौतिक प्रति (कम्पनी के पास रेकार्ड में उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) प्रपत्र आईईपीएफ-5 में वर्णित वांछित दस्तावेजों के साथ भेजनी होगी।

शेयरधारक आगे नोट करें कि कम्पनी द्वारा इसकी वेबसाइट पर अपलोड किया गया विस्तृत विवरण आईईपीएफ नियमावली के अनुसरण में आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयरों के अंतरण के प्रयोजन हेतु कम्पनी द्वारा डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट(स) जारी करने के संबंध में यथेष्ट सूचना मानी और समझी जाएगी। कृपया नोट करें कि आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित अदावित लाभांश राशि और इक्विटी शेयर्स के संबंध में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा। तथापि इसको आईईपीएफ नियमावली के अनुसार प्रपत्र आईईपीएफ-5 में आईईपीएफ प्राधिकरण को आवेदन देकर वापस प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रपत्र आईईपीएफ प्राधिकरण की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।

इस विषय में किसी जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए, संबंधित शेयरधारक कम्पनी को commodities@bharatbhushan.com पर लिखें अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट - मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055, फोन : 011-42541234, ई-मेल आईडी : rta@alankit.com से सम्पर्क करें।

वास्ते भारत भूषण फाइनेंस ऐंड कमोडिटी ब्रोकर्स लिमिटेड

हस्ता./-
निशा आहूजा
निदेशक

तिथि : 15 जुलाई, 2021
स्थान : नई दिल्ली
डीआईएन : 00001875

www.readwhere.com